रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-**110010**

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश दिनांक 07.01.2019

No. AN/XIV/19015/Govt. Orders

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/प्र.ले.नि.(फै.)

All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)

(वेब साइट के द्वारा/Through Website)

विषय : Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016- opportunity for revision of option to come over to revised pay structure.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4-13/17-आईसी/ई-III(ए), जो रक्षा मंत्रालय (वित्त), र.ले.वि. समन्वय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है,, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित की जाती है।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 4-13/17-IC/E-III(A) dated 12.12.2018 on the above subject, which is received from MoD (Finance), DAD Coord, South Block New Delhi,, is forwarded herewith for your information, guidance and compliance please.

This has the approval of Sr.Jt.CGDA(AN)

संलग्नक: यथोपरि

मुश्ताक

(मुश्ताक अहमद)

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4।
2. लेखा परीक्षा – 1, 2 (स्थानीय)।
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)।
4. आई.टी.एवं एस. विंग (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क़्वायर, दिल्ली छावनी।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे}।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता}।

(विजय रैना)

व० लेखा अधिकारी(प्रशा)

सं. 4-13/17-आईसी/ई-III(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली / 12 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016- संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के विकल्प में संशोधन का अवसर दिया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 द्वारा अधिसूचित 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के लिए विकल्प चुने जाने के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 5 और 6 की ओर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विकल्प उपर्युक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख अर्थात् 25.07.2016 से तीन माह के अंदर चुना जाना था। इन नियमों के नियम 6(4) में प्रावधान है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।

2. राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शी तंत्र) के कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया है कि कुछ कर्मचारियों को हुई कठिनाइयों को देखते हुए कर्मचारियों को अपना विकल्प पुन: चुनने का एक और अवसर दिया जाए। इस मंत्रालय को भी यह प्रस्ताव करते हुए अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि प्रभावित कर्मचारियों को अपना विकल्प पुन: चुनने का एक और अवसर दिया जाए।

3. इस मामले पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने विनिश्चय किया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 6(4) में उल्लिखित शर्त में छूट देते हुए केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पहले ही चयन कर चुके हैं, उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसार अपने पहले विकल्प को संशोधित करने का एक और अवसर दिया जाएगा। संशोधित विकल्प का प्रयोग इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 3 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। इन आदेशों के अनुसार एक बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उक्त नियम 5 और 6 में यथानिर्धारित अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें लागू रहेंगी।

अगला पृ०

4. यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने 01.01.2016 से ही संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प चुना है या जिनके मामले में संशोधित वेतन संरचना 01.01.2016 से लागू है, और जो केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 5 के अनुसार 01.01.2016 के बाद की तारीख से इन आदेशों के तहत संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पुन: प्रयोग करेंगे, उनसे 01.01.2016 से संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प के चयन की तारीख तक आहरित संशोधित वेतन के फलस्वरूप उन्हें दी गई बकाया राशि वसूल ली जाएगी।

5. भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. गार्ड फाइल
3. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

No. 4-13/17-IC/E-IIIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 12th, December, 2018

Office Memorandum

Subject: Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 - opportunity for revision of option to come over to revised pay structure

The undersigned is directed to invite attention to Rules 5 & 6 of the CCS (RP) Rules, 2016 regarding exercise of option to come over to the revised pay structure effective from 1.1.2016 as notified by the CCS(RP) Rules, 2016 and to say that the said option was to be exercised within 3 months of the date of notification, i.e., 25.7.2016, of the said Rules. The Rule 6(4) thereof provides that the option once exercised shall be final.

2. The Staff Side of the National Council (JCM) has requested that employees may be given another opportunity to re-exercise their option in view of certain hardships caused to certain employees. A number of references have also been received in this Ministry, proposing that the affected employees may be given an opportunity to re-exercise their option.

3. The matter has been considered and the President is pleased to decide that in relaxation of the stipulation contained in Rule 6(4) of CCS(RP) Rules, 2016, the Central Government employees, who have already exercised their option to come over to the revised pay structure as notified by the CCS(RP) Rules, 2016, shall be permitted another opportunity to revise their initial option in terms of Rules 5 & 6 thereof. The revised option shall be exercised within a period of 3 months from the date of issue of these orders. The option once exercised in terms of these orders shall be final and shall not be liable to any further change under any circumstances. All other terms and conditions as laid down in the said Rules 5 and 6 shall continue to be applicable.

4. It is obvious that in respect of those employees who have already exercised option to come over to the revised pay structure from 01.01.2016 itself or in whose case the revised pay structure took effect from 01.01.2016 and who re-exercise their option under these orders to come over to the revised pay structure from a date subsequent to 01.01.2016 as per Rule 5 of CCS (RP) Rules, 2016, the arrears on account of revised pay already drawn by them from 01.01.2016 up to the date from which they now opt to come over to the revised pay structure shall be recovered.

5. In their application to the employees serving in IA&AD, these orders were issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Amar Nath Singh)
Director

To,

1. All Ministries/Departments of the Government of India (As per standard distribution list)
2. Guard File
3. NIC with the request that the same be posted on the website of Ministry of Finance, Department of Expenditure.